

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
ओटी पत्नि हीराराम जाति मेणा  
निवासी लुणावा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/642  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
17/10 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम लुणावा स्थित भूमि खसरा नं० 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 कुल खसरा 20 कुल रकबा 9.17 हैक्टर किस्म गै० मु० वाडा, चाही सोयम, जाव दौयम कुल लगान 104.9700 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, लुणावा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमारं होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्बदाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
ओटी पत्‍नि हीराराम जाति सेणा  
निवासी लुणावा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/642  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम गुडालास स्थित भूमि खसरा न0 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 कुल खसरा 20 कुल रकबा 9.17 हैक्टर किस्म गै0 मु0 वाडा, चाही सोयम, जाव दोयम कुल लगान 104.9700 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, लुणावा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/10/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्‍नोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली



- तेलाराम पुत्र कमाराम
- मंगीलाल पुत्र राजाराम
- जोगाराम पुत्र रामाजी
- मुखिया पुत्र धुला
- डिंकाराम पुत्र धुमाराम

मंगीलाल

म.नि. युवडीनी  
जोगाराम  
म.नि. राजारामजी

जोगाराम  
चेताराम  
आली  
शिवी

क.मि. तेलाराम

*[Signature]*

पटवारी (भू.अ.)  
पटवार मण्डल, मा. 1191  
तह. बाली, जिला-पली (राज.)

वैलाप  
दिलीप मंगलनाथ

*[Signature]*  
गणेश क.व. शिवलाल  
दिलीप  
सोहनलाल

तहसीलदार (भू.अ.) बाली